संख्या:287/2024/1264/35-4-2024/35-4099/37/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2024

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्यो के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश सं0-241/2022/849/35-4-2022/001-35-4099/37/2022, दिनांक 05.08.2022 द्वारा जल निकासी से संबंधित स्वीकृत 16 कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या-599/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत 16 कार्यो में से शासनादेश के क्रमांक 10, 12 एवं 13 पर अंकित कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि रू. 114.16 लाख को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उक्त कार्यो की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कार्यो का विवरण निम्नवत है:-

(रू. लाख में)

स्वीकृति संबंधी शासनादेश एवं दिनांक	सन्दर्भित शासनादेश का क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अनुमन्य जी0एस0टी की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	जी0एस0टी हेतु अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुकत धनराशि (जी0एस0टी सहित)
241/2022/849/35-4-2022/001-35-4099/37/2022,दिनांक 05.08.2022	10	रोहिणी-आरएच 305	216	30.77	3.69	7.69	0.92	8.61
	12	सुभाष चन्द्र बोस नाला	580	189.96	22.79	47.49	5.70	53.19
	13	सुभाष चन्द्र बोस नाला यूएस	571	187.00	22.44	46.75	5.61	52.36
	योग		**1367**	**407.73**	**48.92**	**101.93**	**12.23**	**114.16**

2. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:287/2024/1264(1)/35-4-2024/35-4099/37/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।